न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- हनुमान सहाय मीणा आर.जे.एस.
सी.आई.एस. नंबर :- Reg.Cri.Case/159/2023
सी एन आर नंबर :- RJBD140002972023

निर्णय दिनांकः- 26.05.2026

पुलिस थाना इन्द्रगढ़ के मुकदमा संख्या 76/2023 अन्तर्गत धारा 323, 354, 354(ख), 457 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से उदभुत प्रकरण

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री कमलेश कुमार, अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**शक्तिमान** पुत्र श्योनारायण बैरवा उम्र 20 साल निवासी बगावदा पुलिस थाना रवांजना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर राज0
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री मोहम्मद शरीफ, विद्वान अधिवक्ता
अपराध की तिथि	01.05.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	01.05.2023
आरोप पत्र की तिथि	05.09.2023
आरोप के विरचना की तिथि	02.12.2023
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	06.03.2024
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	26.05.2026
निर्णय की तिथि	26.05.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	-

अभियुक्त का विवरणः-

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	**शक्तिमान**	-	-	धारा 323, 354, 354(ख), 457 भा.दं.सं. 1860	**दोषमुक्ति**	-	-

अभियोजन साक्ष्य की सूचीः-

(क) अभियोजन साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभियोजन साक्षी-1	डॉ गणेशलाल	इंजरी साक्षी
अभियोजन साक्षी-2	छीतर	नक्शामौका साक्षी

अभियोजन साक्षी-3	शंकरलाल	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-4	मदनगोपाल	घटनास्थल साक्षी
अभियोजन साक्षी-5	बीना	ताईद पीड़िता बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-6	भोजराज	एफआईआर साक्षी
अभियोजन साक्षी-7	बाबूलाल	अनुसंधान साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

(ग) न्यायालय साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची:-

(क) अभियोजन:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
1.	प्रदर्श पी-1	चोट प्रतिवेदन	अभि. साक्षी–1
2.	प्रदर्श पी-2	नक्शामौका	अभि. साक्षी–2
3.	प्रदर्श पी-3	पीड़िता के बयान	अभि. साक्षी–5
4.	प्रदर्श पी-4	तहरीरी रिपोर्ट	अभि. साक्षी–6
5.	प्रदर्श पी-5	चाक एफआईआर	अभि. साक्षी–6
6.	प्रदर्श पी-6	धारा 41(1) सीआरपीसी नोटिस	अभि. साक्षी–7
7.	प्रदर्श पी-7	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम	अभि. साक्षी–7

(ख) प्रतिरक्षा:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(ग) न्यायालय प्रदर्श:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(घ) आवश्यक वस्तुए:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
–	–	–	–

:: निर्णय ::

न्यायालय द्वारा :

01. हस्तगत प्रकरण का उद्भव फरियादिया फिल्मा देवी द्वारा उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.04 पेश किये जाने से हुआ। उक्त रिपोर्ट

पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 76/2023 दर्ज कर अपराध अन्तर्गत धारा 323, 354, 354ख, 457 भा0द0सं0 में अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत अभियोग–पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिए जाने से हुआ।

02. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्ततः तथ्य यह हैं कि प्रार्थीया कल रात करीब समय 10 बजे वह अपने मकान में अकेली सो रही थी। उसका पति बाहर शादी में गया हुआ था। अचानक आवाज आयी तो प्रार्थीया ने दरवाजा खोला और तब शक्तिमान नाम का लड़का आया और उसने प्रार्थीया के साथ छेडछाड़ की। उसके कपड़े फाड़ दिये एवं जब वह भागने लगी तो कहा कि जान से मार दूंगा एवं जोर से चिल्लाने पर उसके काका ससुर छितर वहां पर आया तब वह वहां से भाग गया...इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पूर्वोक्त प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 323, 354, 354ख, 457 भा0द0सं0 में अभियोग–पत्र पेश हुआ। जिस पर बाद अवलोकन उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323, 354, 354ख, 457 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रथमदृष्ट्या पाये जाने से अभियुक्त को उक्त धाराओं में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्त ने सुन व समझकर अपराध से इनकार किया व अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में पी.ड.01 डॉ गणेशलाल, पी.ड02 छीतर, पी.ड03 शंकरलाल, पी.ड04 मदनगोपाल, पी.ड05 बीना, पी.ड06 भोजराज, पी.ड.07 बाबूलाल को परीक्षित कराया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 लगायत प्रदर्श पी.07 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

05. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किये जाने पर अभियुक्त ने प्रस्तुत आई अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा। पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

06. बहस अन्तिम सुनी गई। बहस के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित है, अतः उन्हें दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

07. इसके विपरीत अभियुक्त अधिवक्ता ने बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ आरोपित अपराध को प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्त के खिलाफ मामला प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

08. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह हैं कि –

''क्या अभियुक्त ने दिनांक 30.04.2023 को समय रात्रि 10.00 बजे या उसके लगभग स्थान ग्राम बेलनगंज में स्थित परिवादिया के मकान पर परिवादिया फिल्मा देवी के साथ छेड़छाड़ करने पर उसके साथ मारपीट कर उसके शरीर पर स्वैच्छया साधारण उपहतियां कारित की एवं उसकी लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा उसे विवस्त या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं परिवादिया के मकान में प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह भेदन किया?''

यदि हां तो इसके लिए उचित दण्ड क्या दिया जाना चाहिए?

09. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.01 डॉ गणेशलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 01.05.2023 को सीएचसी इन्द्रगढ़ पर मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी की तहरीर पर मजरूब फिल्मा बाई पत्नी शंकरलाल के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया। जिनमें चोट संख्या 1 खरोंच बायें गाल पर, 2. खरोंच दाये पैर के अंगूठे के ऊपर, 3. सूजन व खरोंच दायें घुटने पर एवं चोट 4. गर्दन में दर्द कोई जाहिरा चोट का निशान नहीं। चोट संख्या 1 से 3 साधारण प्रकृति की कुन्दाले से कारित होना बताया एवं चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.01 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कराये।

10. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.02 छीतर ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आज से करीबन डेढ साल पहले की बात है। रात के दस बजे की बात है। मुझे अगले दिन सुबह जानकारी हुई। फिल्मा देवी ने मेरे को बताया कि शक्तिमान मेरे पास आया मेरे पति घर पर नहीं था। फिल्मा देवी ने बताया कि शक्तिमान ने मेरे कपडे फाडे, मेरे साथ छेडखानी की। तभी पुलिस मौके पर आ गयी थी। नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी.02 पर ए से बी हस्ताक्षर है।

11. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.03 शंकरलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह साल 2023 की रात को दस बजे की बात है। शक्तिमान मेरे घर पर आया और उसने हमारे घर का गेट बजाया तो उसकी पत्नी फिल्मा ने गेट खोला। गेट खोलते ही शक्तिमान लपटा झपटी करने लगा। इस पर उसकी पत्नी चिल्लायी शक्तिमान ने कहा कि चिल्लायी तो मार दूंगा। उसकी पत्नी जैसे–तैसे वहां से छुड़ाकर भागी। फिर वो भागकर उसके काका के पास चली गयी।

12. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.04 मदनगोपाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह आज से करीब ढाई साल पहले की बात है। पुलिसवालों ने शंकर के मकान का मौका मुआयना किया था। नक्शामौका प्रदर्श पी.02 पर सी से डी हस्ताक्षर है। किस मामले में मौका मुआयना किया उसे याद नहीं है।

13. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.05 बीना ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 02.05.2023 को थाना इन्द्रगढ़ में महिला कानि. के पद पर कार्यरत थी। दिनांक 02.05.2023 को उसे बाबूलाल एएसआई ने प्रकरण संख्या 76/2023 ने अंतर्गत धारा 323, 354, 354ख, 457 भा.दं.सं. के पीडिता फिल्मा देवी पत्नी शंकरलाल निवासी बेलनगंज के बयान उनके निर्देशानुसार लेखबद्ध करवाये। फिल्मा देवी के बयान प्रदर्श पी.03 पर ए से बी हस्ताक्षर है।

14. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.06 भोजराज ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 01.05.2023 को थाना इन्द्रगढ़ में हैडकानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन श्रीमती फिल्मा देवी मय अपने पति शंकरलाल के

उपस्थित थाना होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मेरे समक्ष पेश की थी जो प्रदर्श पी.04 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी.05 पर ए से बी हस्ताक्षर है।

15. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.07 बाबूलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 01.05.2023 को थाना इन्द्रगढ़ में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनांक को मुकदमा संख्या 76/2023 धारा 323, 354, 354ख, 457 भा.दं.सं. का मुकदमा इंचार्ज थाना भोजराज ने उसे अनुसंधान हेतु सुपुर्द की थी। दौराने तफ्तीश ग्राम बेलनगंज पीडिता के मकान पर पहुंचे व पीड़िता फिल्मा बाई के कथनानुसार बयान लेखबद्ध महिला कानि. बीना द्वारा लेखबद्ध करवाये जाकर सुपुर्द किये थे। बाद अनुसंधान पत्रावली रामेश्वर प्रसाद को सुपुर्द की।

16. **उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के निर्धारण हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से आयी साक्ष्य का समग्र रूप से अवलोकन किया जावे तो फरियादिया की मृत्यु हो जाने के कारण उसके बयान लेखबद्ध नहीं हो सके। ऐसे में स्वयं फरियादिया द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, उसकी ताईद नहीं हो सकी है।** चूंकि पीड़िता के बयान नहीं हो सके एवं न्यायालय के समक्ष सही तथ्य नहीं आ सका। पीड़िता के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी.04 में रात्रि के करीब 10 बजे की घटना बतायी गई है एवं जब वह घर पर थी तब उसके साथ अभियुक्त के द्वारा छेड़छाड़ की गई एवं उसके चिल्लाने पर उसके काका ससुर छीतर वहां पर आया तब तक मुलजिम वहां से भाग गया था। उक्त गवाह को पी.ड.02 के रूप में परीक्षित कराया है जो कि पक्षद्रोही घोषित हुआ है एवं उसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आज से करीबन डेढ साल पहले की बात है। रात के दस बजे की बात है। मुझे अगले दिन सुबह जानकारी हुई। फिल्मा देवी ने मेरे को बताया कि शक्तिमान मेरे पास आया मेरे पति घर पर नहीं था। फिल्मा देवी ने बताया कि शक्तिमान ने मेरे कपडे फाडे, मेरे साथ छेडखानी की। तभी पुलिस मौके पर आ गयी थी एवं एपीओ द्वारा जिरह में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि मैं दिनांक 30.04.2023 को अपने कुंए पर सो रहा हूं और मेरे को जोर से शंकर घर से चिल्लाने की आवाज आयी हो। आज खुद कहा कि मुझे तो घटना की जानकारी घटना के अगले दिन सुबह हुई थी एवं वकील मुलजिम द्वारा जिरह में

कथन कर रहा है कि यह कहना सही है कि घटना की तारीख, महिना, साल संवत मेरे को आज याद नहीं है। मैंने रात को फिल्मा बाई के कपडे अस्त व्यस्त नहीं देखे। ऐसे में उक्त गवाह अभियोजन पक्ष की कहानी की ताईद नहीं कर रहा है एवं उसे घटना की जानकारी अगले दिन होने के संबंध में कथन कर रहा है तथा फरियादिया का पति पी.ड.03 शंकरलाल ने जिरह में कथन किया है कि मेरी पत्नी ने घटना के बारे में बताया। मैंने किसी तरह की कोई घटना नहीं देखी। मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिसवालो ने मेरे से घटना के बारे में पूछताछ नहीं करी। प्रदर्श डी.01 का ए से बी भाग गलत है, मैंने पुलिस को नहीं लिखाया। ऐसे में उक्त गवाह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। **ऐसे में उक्त परीक्षित गवाहों द्वारा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की गई है एवं स्वयं फरियादिया के बयान लेखबद्ध नहीं हुए है तथा इनके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने किसी गवाह को पेश करके परीक्षित नहीं कराया है जो अभियोजन कहानी की ताईद कर सकता हो। ऐसे में अभियोजन पक्ष अपनी कहानी को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।**

17. अतः अभियोजन पक्ष की ओर से आई साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे अन्तर्गत धारा 323, 354, 354ख, 457 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 30.04.2023 को समय रात्रि 10.00 बजे या उसके लगभग स्थान ग्राम बेलनगंज में स्थित परिवादिया के मकान पर परिवादिया फिल्मा देवी के साथ छेड़छाड़ करने पर उसके साथ मारपीट कर उसके शरीर पर स्वैच्छया साधारण उपहतियां कारित की एवं उसकी लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा उसे विवस्त या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं परिवादिया के मकान में प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह भेदन किया। अतः अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 323, 354, 354ख, 457 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

18. परिणामस्वरूप **अभियुक्त शक्तिमान** पुत्र श्योनारायण बैरवा उम्र 20 साल निवासी बगावदा पुलिस थाना रवांजना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर राज0 को

आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323, 354, 354ख, 457 भा.दं.सं. में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति व बंध–पत्र भार से उन्मोचित किए जाते हैं।

19. अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् धारा 437ए सीआरपीसी के तहत 10,000 रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका पेश करे।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़

20. निर्णय आज दिनांक 26.05.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ